प्रेस विज्ञप्ति
12.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 09/02/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत चेन्नई में मैसर्स केएलपी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स लैंडमार्क ग्रुप और मैसर्स बिन्नी लिमिटेड से संबंधित कई परिसरों, जिसमें लोक सेवकों को प्रदान किए गए अवैध परितोषण की चल रही जांच से सम्बद्ध कंपनियों के निदेशकों के आवास भी शामिल हैं, का तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने उदय कुमार, सुनील खेतपालिया, मनीष परमार और अन्य के खिलाफ सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी), चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि मामले में शामिल संस्थाएं मंजूरी में तेजी लाने के लिए अवैध परितोषण के भुगतान में लिप्त थीं, जो अवैध वित्तीय गतिविधियों के व्यापक प्रभाव को जन्म दे रही थीं। अनुक्रमिक जांच से पता चला कि धन के प्रवाह को छुपाने के लिए शैल कंपनियों का एक व्यापक नेटवर्क नियोजित किया गया था, जो मुख्य रूप से संपत्ति अधिग्रहणों से जुड़ी हुई थीं। वित्तीय पद-चिन्ह शराब कारोबार और अन्य अवैध गतिविधियों में नकदी के उपयोग की ओर भी इशारा करते हैं।

ईडी की जांच में मॉरीशस मार्ग के माध्यम से सुविधाजनक बनाए गए कुल 280 करोड़ रुपए का एक जटिल धन शोधन षडयंत्र भी अभिज्ञात हुआ है। एस. नीलकंठन ने मॉरीशस में पैकाटोलस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड नामक एक दिखावटी इकाई के माध्यम से एक राउंड-ट्रिपिंग परिदृश्य को चतुराईपूर्ण तरीके से व्यवस्थित करते हुए शोधन और परतन प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाई। गलत तरीके से कमाए गए लाभ का उपयोग अंततः चेन्नई में प्रमुख अचल संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया, इसके बाद शैल संस्थाओं के गोरखधंधे के माध्यम से धन की हेराफेरी की एक जटिल प्रक्रिया शुरू हुई।

तलाशी के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेजों, व्यावसायिक रिकॉर्डों का एक मकड़जाल और अचल/चल संपत्तियों के विवरण बरामद और जब्त किए गए हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।